सार्वजनिक निर्माण विभाग, संवेदक संघ जयपुर

सेवामे,

श्रीमान मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सानिवि राजस्थान
जयपुर।

विषय :–50 लाख तक की निविदाएं अनबैलेन्स बिड सिक्योरटी से मुक्त करने एवं धरोहर राशि के स्थान पर बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र पुनः लागू कर लघु संवेदको को राहत प्रदान करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न प्रकार निवेदन है किः–

1 पिछले 2 वर्षो से कोविड 19 के प्रकोप के कारण लघु संवेदक आर्थिक संकट से जूझ रहे है। राजस्थान सरकार ने संवेदको को आर्थिक संकट से उबारने के लिए निविदाओ मे कई छूट प्रदान कर राहत प्रदान की थी जो निम्न प्रकार थीः–

अ निविदाओ मे धरोहर राशि के स्थान पर बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र देना जो कि दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो गई है।

ब कार्यो के सम्पादन पर एसडी 10 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ही जमा कर राहत प्रदान की जिसकी वैद्यता 31.12.2021 तक थी लेकिन उसे 31.3.2023 तक बढा दिया गया है।

2 अभी हाल ही मे वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत से ज्यादा कम पर निविदा डालने पर अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराने का प्रावधान किया हे। जिससे लघु संवेदको की कार्यशील पूंजी का अभाव होता जा रहा है एवं पूंजीपतियों का इस पर एकाधिकार होने की संभावना है।

अतः श्रीमान जी निवेदन है कि लघु संवेदको को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 50 लाख तक की निविदाओ को अनबैलेन्स बिड सिक्योरिटी राशि से मुक्त कराने एवं धरोहर राशि की जगह बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र पुनः लागू कराने की कृपा करे।

(मौहम्मद साजिद लंगा)
महामंत्री

(अवनीश कुमार दीक्षित)
अध्यक्ष